पत्रांक –1/आ0प्र0 (स्कीम बजट)–09/2018/ 89 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु
अपर सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

पटना–15, दि0– 18/2/19

विषय : **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष –102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष –0105–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड–39–2245801020105, विस्तृत शीर्ष– 27–लघु कार्य, विषय शीर्ष – 01– लघु कार्य के अन्तर्गत ₹27.50 लाख (सताईस लाख पचास हजार रूपये) आवंटन की स्वीकृति ।**

आदेश –स्वीकृत ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–52/आ0प्र0 दिनांक –26.06.18 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से आवंटित की जा रही है ।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष –2018–19 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष –102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष –0105–जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड–39– 2245801020105, विस्तृत शीर्ष– 27–लघु कार्य, विषय शीर्ष – 01– लघु कार्य के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपमुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उपशीर्षवार निम्नप्रकार है:–
उप मुख्य शीर्ष –80–सामान्य
लघु शीर्ष –102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध
उपशीर्ष –0105– जागरूकता एवं क्षमता निर्माण
मांग सं0–39,
विस्तृत शीर्ष–27–लघु कार्य, विषय शीर्ष – 01– लघु कार्य

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	सुपौल	0.00 (शून्य)	27.50 (सताईस लाख पचास हजार)	27.50 (सताईस लाख पचास हजार)

5. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 1107–2/आ0प्र0 दिनांक 11.10.2018 द्वारा की गई अधियाचना एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30.11.2018 को संपन्न बैठक की कार्यवाही संख्या–7 में लिए गए निर्णय के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आवंटित राशि से एन0डी0आर0एफ0 टीम के आवासन स्थल गणपतगंज बाढ़ आश्रय स्थल की मरम्मति एवं नया शौचालय, स्नानघर आदि का निर्माण करायी जाय तथा जल संसाधन विभाग एवं पंचायती राज विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे ।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उपमुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय । विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक –2561वि0(2) दिनांक –17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक –15.03.2019 तक निश्चित रूप से की दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवार होंगे । राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय ।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर " आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय ।

12 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना , वित्त (बजट) को भी दी जा रही है । इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/02/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 89 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/2/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट)/योजना एवं विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/02/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 89 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/2/19

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/02/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 89 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/2/19

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/02/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक – 89 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 18/2/19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, आ0प्र0 विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/02/19

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक ....89..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 18/2/19

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/02/19

सरकार के अपर सचिव